

**बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग,**

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,

निदेशक, (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

निदेशक,

अरबी तथा फारसी शोध संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक /

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-004-अनुसंधान, उप शीर्ष-0005- अरबी तथा फारसी में अनुसंधान, विपत्र कोड संख्या- एन 2202800040005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रु0 28,03,500 /-(अठाईस लाख तीन हजार पाँच सौ रुपये) मात्र आपको निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	0101-वेतन	480000	900000	1380000
2	0103-जी0या0भ0	567000	1000000	1567000
3	0104-म0 कि0 भ0	96000	192000	288000
4	0105-परिवहन भ0	17000	35000	52000
5	0106-चि0 भ0	7000	15000	22000
6	0107-अन्य भत्ता	2000	6000	8000
	योग वेतन एवं भत्ते:-	11,69,000	21,48,000	33,17,000
7	1101-यात्रा व्यय	16000	34000	50000
8	1301-कार्यालय व्यय	100000	200000	300000
9	1303-दुरभाष	8000	17000	25000
10	1304-विद्युत प्रभार	33000	67000	100000
11	1306-वर्दी/पोशाक	1500	3500	5000
12	1601-प्रकाशन एवं मुद्रण	33000	67000	100000
13	2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	33000	67000	100000
14	2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	100000	200000	300000
	कुल योग :-	14,93,500	28,03,500	42,97,000

तत्काल आवंटित राशि 28,03,500 /-(अठाईस लाख तीन हजार पाँच सौ रुपये) मात्र।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 295 दिनांक-24.03.2015 एवं 396 दिनांक-24.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहरस्ताक्षरी को भेजी जाय।
8. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (उच्च शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहरस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
9. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
10. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एस0 एम0 करीम),

निदेशक (उच्च शिक्षा),

ज्ञापांक:- 64

पटना, दिनांक:- 11/7/11-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना कोषागार, पटना/जिला पदाधिकारी/लेखापाल, अरबी फारसी शोध संस्थान, पटना/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(Signature)
30/06/11
(एस0 एम0 करीम),
निदेशक (उच्च शिक्षा),